निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 22 वर्ष 2018-19

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अधीशासी अभियंता, नलकूप खंड, हल्द्वानी** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **अधिशासी अभियंता, नलकूप खंड, हल्द्वानी** के माह **03/2017 से 06/2018 त**क के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, स0ले0प0 अधि0, श्री मनीष श्रीवास्तव।स0ले0प0 अधि0 तथा श्री नन्दन , लेखा परीक्षक द्वारा श्री जगमोहन सिंह रावत, वरिष्ट लेखापरीक्षा अधिकारी,के पर्यवेक्षण में दिनांक **10.07.2018 से 13.07.2018** तक सम्पादित किया गया।

<u>भाग-I</u>

1. **<u>परिचयात्मकः</u>** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री...आर0एन0 यादव, श्री अमित टंडन, स0ले0प0अधि0 एवं श्री अंकित पाण्डेय द्वारा दिनांक 09.03.2017 से 19.03.2017 तक श्री वी0एस0 पवार, वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण मे संपादित की गयी थी। जिसमे माह 02/2016 से 02/2017 तक के लेखा अभिलेखो की जांच की गयी।

   वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 03/2017 से 6/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी

(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः- **अधिशासी अभियंता, नलकूप खंड , हल्द्वानी** में नलकूप एवं लिफ्ट योजना के निर्माण एवं रख-रखाव के कार्य/ कार्य क्षेत्र विकास खंड हल्द्वानी, नैनीताल एवं भीमताल

इकाई को बजट आंवाटन- उत्तराखण्ड सरकार द्वारा दिया जाता है |

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:-

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+) ` (लाख मे)	बचत (-) ` (लाख मे)
	स्थापना ` (लाख मे)	गैर स्थापना `(लाख मे)	आवंटन ` (लाख मे)	व्यय ` (लाख मे)	आवंटन ` (लाख मे)	व्यय ` (लाख मे)		
2015-16	_	_	549.00	545.90	636.53	636.63	_	
2016-17	_	_	571.36	571.36	532.80	483.59	_	
2017-18	_	49.21	611.96	611.96	343.12	378.68	_	
2018-19 (upto 06/2018)		14.65	451.77	174.06	74.73	80.50	-	

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः (धनराशि लाख रु. में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
2015-16	**शून्य**				
2016-17					
2017-18)					
2018-19					

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई "सी"श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. प्रमुख सचिव
2. प्रमुख अभियंता
3. मुख्य अभियंता (यांत्रिक)
4. अधीक्षण अभियंता
5. अधिशासी अभियंता

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **अधिशासी अभियंता, नलकूप खंड, हल्द्वानी** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 10/2017 को विस्तृत जांच हेतु अधिक व्यय के आधार पर चयनित किया गया। विस्तृत जांच हेतु लेखापरीक्षा मे अधिक व्यय के आधार पर " कन्स्ट्रकशन ऑफ ट्यूब वेल संख्या 238,239 &243 का चयन किया गया।

a. लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

2. अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि मे दिनांक ..... से ..... का निरीक्षण किया गया।
3. खंड के भडार लेखो की अर्धवार्षिकी लेखाबन्दी तथा यंत्र-सयन्त्र लेखो की वार्षिक लेखाबन्दी **क्रमशः 09/2012 एवं 09/2012** तक की गयी।
4. फार्म-51 माह 06/2018 तक कार्यालय महालेखाकार (ले0 एवं ह0) उत्तराखंड देहारादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं दितीय के अवशेष निम्नवत है :

   भाग प्रथम:..रु (-) 188447.00

   भाग दितीय: रु 8820934.00

5॰ खंड के उच्यंत लेखो का अवशेष माह **06/2018**. के अंत मे

(क) प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम : रु 4339649.69

(ख) सामग्री क्रय : रु 68822.00

(ग) नगद परिशोधन : 750610.22

(घ) निक्षेप : 11846024.00

(ङ) भंडार : 16013721.00

भाग-2 (ब)

प्रस्तर-1 : जलकर के मद मे रु 2.01 करोड़ की राशि को लंबित रखना

नलकूप खंड हल्द्वानी की लेखापरीक्षा मे पाया गया कि (जुलाई 2018) को खंड के अधीन आने वाले नलकूपो द्वारा जल संस्थान हल्द्वानी एवं जल संस्थान लाल कुआं को पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा था। किन्तु जल संस्थान द्वारा देय राशि रु 2.01 करोड़ की वसूली निम्नानुसार लंबित थी:

संस्थान का नाम	**वसूली हेतु लंबित धनराशि (रु मे) (मार्च 2018 तक)**
1. जल संस्थान, हल्द्वानी	17713977.00
2. जल संस्थान, लालकुआँ	2408930.00
कुल धनराशि	**20122907.00**

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि खंड के पक्ष मे रु 2.01 करोड़ कि राशि जल संस्थान के ऊपर देनदारी थी। लेखापरीक्षा मे इंगित किए जाने पर खंड द्वारा बतलाया गया कि वसूली हेतु विगत कई वर्षो से पत्राचार किया जा रहा है।

लेखापरीक्षा को खंड का उत्तर मान्य नहीं था क्यूंकि खंड द्वारा जिलाधिकारी के माध्यम से राजस्व की वसूली की तरह वसूली के चालान कटवाकर वसूली हेतु प्रयास किए जाने चाहिए। जबकि खंड द्वारा ऐसा न कर मात्र जल संस्थान से पत्राचार किया जा रहा था । अतः रु 2.01 करोड़ की लंबित वसूली का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

भाग 2 ब

प्रस्तर 2 : उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली की अवहेलना कर ` 33.68 लाख का अनियमित क्रय।

उत्तराखंड अधिप्राप्ति (संशोधन) नियमावली 2015 के अनुसार `3.00 लाख व उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के नियम संख्या 35 के अनुसार ` 2.5 लाख व से अधिक की सामाग्री के अधिप्राप्ति के लिए निविदा आमंत्रित की जानी चाहिए। साथ ही उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 व 2017 के नियम संख्या 10(1) व 7(1) के अनुसार "ऐसी सामाग्री और मदों के लिए जिन्हें सामान्य उपयोग की मदों के रूप में चिन्हित किया गया है और जिनकी सरकारी विभागो और ऐजेंसी को बार बार आवश्यकता होती है, उनके लिए राज्य सरकार या राज्य सरकार के प्रशासनिक विभागो की पदनामित केंद्रीय क्रय समिति द्वारा 'दर संविदा' की जा सकती है।"

इकाई के लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2017-18 में इकाई द्वारा PVC insulated winding wire with bright annealed solid bare copper conductor IS-8783 Section 1/1995 (diameter 2.7 mm, 2.6 mm व 2.3 mm) की आवश्यकता बार बार पड़ती है। इस आवश्यकता को पूर्ण करने के किए इकाई द्वारा 21 सप्लाइ आदेश के द्वारा उक्त सामाग्री की अधिप्राप्ति की गयी जिनकी कुल लागत ` 33.68 लाख (संलग्नक 1) थी। अलग अलग सप्लाइ आदेश करने के कारण एक ही विशिष्ठिता की सामाग्री के लिए इकाई ने अलग अलग दर से (` 49 से ` 61) सामाग्री की अधिप्राप्ति की। यदि उक्त सामाग्री 'निविदा' या 'दर संविदा' से क्रय की जाती तो न्यूनतम दर प्राप्त की जा सकती है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया गया कि *" खण्ड के अंतर्गत 191 नलकूप सिचाईरत है। जिनमे अधिकांश नलकूप लगभग से अधिक वर्ष की अवधि पूर्ण कर चुके है। इनमे स्थापित पम्पसेट एवं अन्य उपकरण जीर्ण हो चुके है। यह अनुमान लगाना संभव नहीं है कि किन किन नलकूपो पर कब-2 कितने पम्प सैट एवं उपकरण खराब हो जाएंगे क्योंकि पम्प सेट सतह से लगभग 500 से 600 फुट की गहराई पर स्थापित होते है जब-2 नलकूप पर पम्प सेट खराब होते है तत्काल आवश्यता के अनुसार वाईंडिंग वायर की आपूर्ति अधिकृत फ़र्म से क्रय किया जाता है। उक्त सामाग्री की आपूर्ति हेतु अनुरक्षण में मांग के अनुसार धनावंटन कम होने के कारण अधिक सामाग्री क्रय कर उनका भुगतान किया जाना संभव नहीं हो पाता है।"*

इकाई का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि इकाई के अधीन अधिक व जीर्ण अवस्था के नलकूप होने के कारण उनके खराब होने की संभावना भी बढ़ जाती है। तब यह और भी जरूरी हो जाता है कि इन नलकूपो में लगने वाली सामाग्री के क्रय हेतु वर्ष के प्रारम्भ में ही दर संविदा निष्पादित की जाय जिससे

सामाग्री की आवश्यकता पड़ने पर क्रय समिति के गठन व बाज़ार के सर्वेक्षण में होने वाले विलंब सा बचा जा सके।

अतः उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली की अवहेलना कर ` 33.68 लाख की अनियमित क्रय का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-III</u>

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
23/2003-04	**1**	**1,2**
68/2004-05	**-**	**2**
87/2005-06	**-**	**1**
55/2007-08	**1,2**	**2**
50/2009-10	**-**	**1,2,3,4**
51/2011-12	**1**	**1,2,3**
36/2013-14	**-**	**1**
73/2014-15	**-**	**1,2**
117/2015-16	**1,2,3**	**1,2**
122/2016-17	**-**	**1**

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
AIR नो/122/2016-17 के भाग 2 (ब) का प्रस्तर स0 -1 निस्तारित करने हेतु प्रस्तावित				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

……Nil…….

<u>भाग-V</u>

<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु अधिशासी अभियंता, नलकूप खंड, हल्द्वानी तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः भंडार पंजिका 45**
2. **सतत् अनियमितताएः**
   (i) Nil
3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

नाम	पदनाम	**अवधि**
श्री डी0 सी0 सनवाल	अधिशासी अभियंता	

4. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित खंडीय लेखाधिकारी खंड से संबध्द रहे।**

नाम	पदनाम
श्री संजय तिवारी	व0 खंडीय लेखाधिकारी

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति अधिशासी अभियंता, नलकूप खंड, हल्द्वानी को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार आर्थिक क्षेत्र-2 कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

आर्थिक क्षेत्र-2